

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

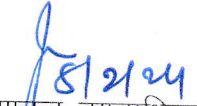
प्रां 107 दं0प्र0सं0

प्रथम पक्ष - राधेश्याम केशरी ।

बनाम

वाद सं0 58/2023

द्वितीय पक्ष - संतोष केशरी बगैरह ।

आदेश की क्र० सं० एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
	थाना पालकोट के अप्राथमिकी सं० 18/2023 दिनांक 05/07/2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रथम पक्ष (1) राधेश्याम केशरी उम्र 53 वर्ष पिता स्व० देवीचरण केशरी ग्राम पालकोट थाना पालकोट जिला गुमला बनाम द्वितीय पक्ष (1) संतोष केशरी उम्र 45 वर्ष पिता स्व० देवीचरण केशरी (2) उदीत केशरी उम्र 22 वर्ष पिता स्व० विजय केशरी (3) सिद्धी देवी उम्र 40 वर्ष पति स्व० विजय केशरी सभी ग्राम पालकोट थाना पालकोट जिला गुमला के बीच मौजा पालकोट के खाता सं० 692 प्लॉट सं० 4239 रकबा 0.42 एकड़ भूमि को लेकर विवाद एवं तनाव हैं। फलस्वरूप उभय पक्षों के द्वारा शांति फैलाने की सम्भावना है। उभय पक्ष को नोटिस किया गया नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है उभय पक्ष न्यायालय में अनुपस्थित हुए :- उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान उभय पक्ष के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी पालकोट या अन्य स्रोत से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी है। अतः उभय पक्षों के बीच उक्त वाद की कार्रवाई के समयावधि में किसी प्रकार की शांति भंग होने की सूचना अप्राप्त होने एवं वाद की कार्रवाई की समयअवधि समाप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित ।  अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)।	